अध्याय III: कोयला मंत्रालय

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

3.1 अग्रिम आय कर के कम भुगतान के कारण परिहार्य हानि।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कर योग्य आय के गलत आकलन और उसके फलस्वरूप अग्रिम आय कर के कम भुगतान के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ₹ 12.38 करोड़ के ब्याज का परिहार्य व्यय हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 211 के साथ पठित धारा 208 के तहत यदि कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान देय आय कर की राशि ₹ 10,000 से अधिक हो जाती है तो प्रत्येक कम्पनी को एक वित्तीय वर्ष से संबंधित तिमाही किश्तों में देय तिथि पर निर्धारित दरों पर अग्रिम आय कर का भुगतान करना अपेक्षित है। अग्रिम कर के कम भुगतान के मामले में, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ब्याज के भुगतान की दायी है। अधिनियम की धारा 234(बी) के अनुसार, यदि प्रदत्त अग्रिम कर, निर्धारित कर के 90 *प्रतिशत* से कम है तो अधिनियम के अन्तर्गत उस राशि पर जिस पर प्रदत्त अग्रिम आयकर निर्धारित कर से कम हो आय के निर्धारण की तिथि से निर्धारण वर्ष के पहली अप्रैल से प्रति माह या उसके भाग पर निर्धारित दर से साधारण ब्याज उद्ग्राहय है। अधिनियम की धारा 234(सी) में भी पहली, दूसरी और तीसरी किश्त के भुगतान में की गई चूक के मामले में और अन्तिम किश्त के भुगतान में कमी के मामले में एक महीने के लिए तीन महीने की अवधि के लिए अग्रिम कर की कम प्रदत्त किश्तों की राशि पर निर्धारित दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2015) कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), जो कोयले के खनन के कार्य में लगी है, वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान अग्रिम आय कर की राशि के उचित निर्धारण में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप, ईसीएल ने कम अग्रिम आय कर का भुगतान किया और अन्ततः अग्रिम कर के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए धारा 234 (बी) के तहत क्रमशः ₹ 4.83 करोड़ और ₹ 3.00 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसी प्रकार, धारा 234(सी) के तहत, ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अग्रिम कर की पृथक किश्तों के कम भुगतान के लिए क्रमशः

₹ 3.05 करोड़ और ₹ 9.53 करोड़ का भुगतान हुआ। अतः ईसीएल ने आय कर विभाग को वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान कर योग्य आय के गलत निर्धारण और अग्रिम कर के विलम्बित भुगतान के कारण ₹ 20.41 करोड़ के ब्याज की राशि का भुगतान किया जिसमें से ₹ 12.38 करोड़ परिहार्य था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**धारा 234(बी) के तहत ब्याज ₹ में**	**धारा 234(सी) के तहत ब्याज ₹ में**	**कुल**
2013-14	4.83 करोड़	₹ 3.05 करोड़ (पिछली तिमाही के लिए ₹ 60.35 लाख सहित)	₹ 7.88 करोड़
2014-15	3.00 करोड़	4थी तिमाही के लिए ₹ 1.50 करोड़	₹ 4.50 करोड़
जोड़			**₹ 12.38 करोड़**

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2015/जनवरी 2016) किः

- अधिनियम की धारा 234(बी) और 234(सी) के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान एनटीपीसी के साथ करार ज्ञापन (जनवरी 2014) के अनुसार कोयले की बिक्री और वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तिम भाग में बहुत पुरानी देयताओं के प्रतिलेखन से ₹ 226.15 करोड़ के अप्रत्याशित अतिरिक्त लाभ के कारण हुआ था।

- वित्तीय वर्ष 2013-14 तक, ईसीएल अधिनियम के न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के प्रावधान के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए दायी नहीं था। फरवरी 2015 में, औद्योगिक और वित्तीय पुर्नसंरचना बोर्ड (बीआईएफआर) ने इस तथ्य पर विचार करते हुए ईसीएल को रूगणता से बाहर घोषित किया कि 31 दिसम्बर 2014 तक ईसीएल की प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिजर्व संचित हानियों से अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मैट लागू हो गया। अतः ईसीएल केवल फरवरी 2015 के महीने में मैट के तहत कर भुगतान का दायी हो गया था जबकि ईसीएल ने 15 जून/सितम्बर/दिसम्बर 2014 तक मैट पर विचार किए बिना अग्रिम कर का भुगतान किया था।

- यद्यपि ईसीएल ने आय कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234(बी) और 234(सी) के तहत 12 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ईसीएल ने प्रदत्त अग्रिम आय कर की कम राशि पर 9 *प्रतिशत* प्रति वर्ष से अधिक की औसत दर पर अपने निवेश से ब्याज अर्जित किया था, वास्तविक हानि केवल प्रदत्त ब्याज की राशि की एक चौथाई

थी। इसके अतिरिक्त, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों में आय कर के विलम्बित भुगतान पर प्रदत्त ब्याज राष्ट्रिय राजकोष में सहयोग दे रहा था।

- तथापि, ईसीएल ने आश्वासन दिया कि ऐसी किसी घटना से बचने के लिए भविष्य में उचित ध्यान रखा जाएगा।

मंत्रालय ने अपने जवाब (फरबरी 2016) में प्रबंधन के मत का समर्थन किया।

निम्नलिखित के दृष्टिगत प्रबन्धन/मंत्रालय के उपरोक्त तर्क, तर्कसंगत नहीं थेः-

- करार ज्ञापन के अनुसार कोयले की बिक्री ईसीएल और एनटीपीसी के बीच 9 जनवरी को निष्पादित की गई थी। ईसीएल ने 10 मार्च 2014 को करार ज्ञापन के कारण एनटीपीसी से ₹ 575 करोड़ की अग्रिम राशि की उगाही कर ली (जनवरी 2014 में ₹ 165 करोड, फरवरी 2014 में ₹ 325 करोड़ और 10 मार्च 2014 तक ₹ 85 करोड़)। अतः, ईसीएल अग्रिम आय कर के भुगतान के लिए प्राप्तियों का आकलन कर सकता था, जो 15 मार्च 2014 तक देय थी, क्योंकि 10 मार्च 2014 तक 80 *प्रतिशत* तक जारी किया जा चुका था (₹ 717.50 करोड़ में से ₹ 575 करोड़) और ईसीएल आगामी 21 दिनों में उठाने का अनुमान लगा सकता था।

- धारा 234(बी) के उद्देश्य हेतु, ईसीएल वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित कर के 90 *प्रतिशत* का अनुमान आसानी से लगा सकता था किन्तु कम्पनी ऐसा नहीं कर सकी। फलस्वरूप, ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अग्रिम आयकर के विलम्बित भुगतान के लिए धारा 234(बी) के अनुसार ₹ 4.83 करोड़ के ब्याज का भी भुगतान किया।

- यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए ईसीएल प्रबन्धन द्वारा अग्रिम आय कर के सही अनुमान लगाने में विफलता के कारण ईसीएल ने पूरे वर्ष के लिए धारा 234(सी) के अनुसार ₹ 3.05 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया जिसमें से केवल अग्रिम आय कर की चौथी तिमाही की किश्त के विलम्बित भुगतान के लिए केवल ₹ 60.35 लाख था। जबकि पहली तीन तिमाहियों के लिए प्राप्तियों के आकलन की अक्षमता के लिए कोई तर्कसंगतता नहीं थी, लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार चौथी तिमाही के लिए भी प्राप्तियाँ आकलनयोग्य थीं।

- चूंकि ईसीएल वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बीआईएफआर के अन्तर्गत थी इसलिए कम्पनी को उपरोक्त लाभ मिला और इसलिए धारा 115 जेबी के

अन्तर्गत मैट देयता शून्य थी। तथापि, ईसीएल इस आधार पर फरवरी 2015 में बीआईएफआर से बाहर आ गया कि निवल मूल्य कम्पनी की संचित हानि से अधिक हो गया था। अतः ईसीएल वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धारा 115 जेबी के अन्तर्गत उपरोक्त कटौती का हकदार नहीं था। इसके अतिरिक्त, बीआइएफआर रिपोर्ट (फरवरी 2015) से यह भी देखा गया कि ईसीएल ने बोर्ड से अनुरोध किए थे कि कम्पनी को बीआईएफआर की परिधि से हटा दिया जाए क्योंकि कम्पनी का निवल मूल्य 31 दिसम्बर 2014 को उसकी लेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर सकारात्मक हो गया था। अतः प्रबंधन इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित था कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धारा 115 जेबी के अन्तर्गत मैट कटौती प्राप्त नही की जाएगी क्योंकि 31 दिसम्बर 2014 तक कम्पनी का निवल मूल्य सकारात्मक था। यद्यपि, कम्पनी को फरवरी 2015 में बीआईएफआर से हटा दिया गया था किन्तु उपरोक्त तथ्यों के कारण धारा 234(बी) के अनुसार कम्पनी के पास निर्धारित आय कर के 90 *प्रतिशत* के भुगतान का काफी समय और अवसर था। तथापि, कम्पनी वर्ष 2013-14 के साथ साथ 2014-15 के लिए धारा 234(बी) और 234(सी) के तहत अग्रिम आय कर के भुगतान का निर्धारण करने में समर्थ नहीं थी। यदि ईसीएल ने मैट के अनुसार फरवरी 2015 में बीआईएफआर से निकलने के तुरन्त बाद वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम कर का भुगतान किया होता, तो ईसीएल ने कम से कम ₹ 4.50 करोड़ की बचत कर ली होती जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अग्रिम कर के कम भुगतान के लिए धारा 234(बी) के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 3.00 करोड़ और 15 मार्च 2015 तक देय अग्रिम कर की चौथी किश्त के कम भुगतान के लिए धारा 234(सी) के तहत ₹1.50 करोड़ शामिल है। अतः ईसीएल ₹ 12.38 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 7.88 करोड़ और ₹ 4.50 करोड़) के ब्याज के परिहार्य भुगतान से यथोचित कर प्रबन्धन द्वारा बच सकता था।

- ईसीएल का उत्तर कि उसने ब्याज अर्जित किया तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कम्पनी उस व्यवसाय में नहीं है कि अप्रदत्त सरकारी देयों पर ब्याज अर्जित करे । इसके अतिरिक्त, आय कर अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अग्रिम आय कर के कम भुगतान के कारण अर्जित ब्याज भी करयोग्य है।

- कम्पनी के पास कर पूर्व वार्षिक लाभ में असामान्य अन्तर और अन्य घटकों और संबंधित वर्षों के जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में देय अग्रिम आय कर की

तिमाही किश्तों के भुगतान करते समय उनके अनुमानित कर योग्य आय के संशोधन की समीक्षा अनुमानों की तुलना में उसकी वास्तविक आय और व्यय की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग द्वारा करने का अवसर था जिससे अन्तर को जितना संभव हो कम किया जा सके।

अतः वास्तवितक इनपुटों के आधार पर करयोग्य आय निकालने के लिए एक सुपरिभाषित प्रणाली के अभाव के कारण ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान अग्रिम आयकर के कम और विलम्बित भुगतान पर ₹ 12.38 करोड की परिहार्य हानि उठाई।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

3.2 परिहार्य व्यय

आवश्यकता से काफी पहले ऋण लेने और बाद में पूर्व समाप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 10.31 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ

भारत सरकार (कोयला मंत्रालय) ने नेवेली में में 2X500 मे.वा. नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन (एनएनटीपीएस) के संस्थापन के लिए एक परियोजना की संस्वीकृति दी (जून 2011)। परियोजना की अनुमानित लागत (₹ 5907.11 करोड़) में आवाधिक ऋण (₹ 2500 करोड़), अन्य उधार (₹ 665.17 करोड़), विदेशी मुद्रा ऋण (₹ 969.81 करोड़) और इक्विटी (₹ 1772.13 करोड़) शामिल थी। मंत्रालय ने कम्पनी को परियोजना ऋण इक्विटी आधार में 70:30 पर वित्त पोषित करने और यूनिट I और यूनिट II को 48/54 महीने में क्रमशः जून 2015 और दिसम्बर 2015 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए।

परियोजना का दो बार पुनः निविदाकरण करने के बाद, कम्पनी ने अक्तूबर 2013 में स्टीम जेनरेटर और अनुषंगियों और दिसम्बर 2013 में स्टीम टरबाइन जेनरेटर के निर्माण के लिए बीएचईएल को पंचाट-पत्र (एलओए) जारी किया जिसमें परियोजना के संस्थापन की निर्धारित तिथि अक्तूबर 2017 और अप्रैल 2018 थी।

इसी दौरान, कम्पनी ने ₹ 2500 करोड़ के ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ (मार्च 2012) एक करार किया। कम्पनी ने ₹ 100 करोड़ (मार्च 2012) आहरित किए जिसमें से दिसम्बर 2013 तक केवल ₹ 34.92 करोड़ ही उपयोग किए जा सके। तदन्तर बोर्ड ने ऋण की पूर्व समाप्ति कर (दिसम्बर 2013) और परियोजना में प्रगति आने तक, आन्तरिक संसाधनों से चालू निधि की आवश्यकता पूरी करने और एक नया ऋण स्थगन प्राप्त करने का निर्णय लिया लिया। तदनुसार, कम्पनी ने ऋण पर ब्याज और अन्य

प्रभारों के रूप में ₹ 23.47 करोड़[1] के भुगतान के बाद 23 फरवरी 2014 को एसबीआई ऋण की पूर्व समाप्ति की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- कम्पनी को पता था कि निविदा समिति ने सिफारिश की थी (फरवरी 2012) कि दो तकनीकी व्यवहार्य बोलियों में से एक को संसाधित न किया जाए और उस मामले में यदि ठेके का पुनः निविदाकरण किया जाना हो तो वह न्यूनतम नौ महीने का समय लेगा, अतः एलओए निर्धारित तिथि के अनुसार जारी नहीं किया जा सका।

- एसबीआई के साथ करार करने के समय, एनएनटीपीएस परियोजना के किसी पैकेज में एलओए जारी नहीं की जा सकी थी।

- 31 मार्च 2012 तक, कम्पनी के पास अल्पावधि जमा में ₹3275.20 करोड़ की शेष निधि थी जिसे अस्थायी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था।

इस प्रकार, आवश्यकता से काफी पहले ऋण के आहरण के कारण ₹ 23.47 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कम्पनी ने बताया (अक्तूबर 2015) कि परियोजना कार्य का निविदाकरण कार्यकलाप विलम्बित था और तदनन्तर बीएचईएल को मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए आदेश केवल अक्तूबर 2013 और दिसम्बर 2013 में जारी किया गया था जिसमें संशोधित निर्धारित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि अप्रैल 2018 थी। मौजूदा ऋण के पुनर्गठन से बचने के लिए और बाजार में नरम ब्याज दर का लाभ लेने के लिए, उसने मौजूदा ऋण को पूर्व समाप्त कर दिया था। इसके अलावा, इसने ऋण राशि को अल्पावधि जमा में निवेश किया और ब्याज के रूप में ₹13.16 करोड़ अर्जित किया।

कम्पनी का उत्तर निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जा सकता है:

- कम्पनी ने अक्टूबर और दिसम्बर 2013 में बीएचईएल को एलओए जारी करने से भी पहले ऋण आहरित किया (मार्च 2012) और इस प्रकार ऋण का आहरण आवश्यकता के आधार और कार्य की प्रगति के अनुरूप नहीं था।

---

[1] ***₹ 20.53 करोड़ (प्रदत्त ब्याज) + ₹ 2.76 करोड़ (अग्रिम फीस का भुगतान) + ₹ 0.18 करोड़ (प्रदत्त विधिक प्रभार)***

- भले ही कंपनी की बैंकों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करने में देरी प्रत्याशित थी वह आवधिक जमा में अपनी अधिशेष निधियों को प्रयोग कर सकती थी।

- ऋण का उद्देश्य परियोजना को वित्तपोषित करना था, न की उसे अल्पावधि जमा में निवेश द्वारा ब्याज अर्जित करना।

इस प्रकार, आवश्यकता से काफी पूर्व ऋण के आहरण से उस पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखने के बाद भी ₹ 10.31 करोड़[1] का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला दिसम्बर 2015 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

[1] *₹ 23.47 करोड़ घटा ₹13.16 करोड़ (अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज)*